

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- 25 / 2024।

लक्ष्मीनारायण बनाम चन्दा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15.07.2024	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता हाजिर। विभाजन प्रस्ताव पर वादी को सुना गया। वास्ते आदेश दिनांक 05.08.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
05.08.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। वास्ते आदेश दिनांक 20.08.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
20.08.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक डिकी बनकर पेश हुए हैं। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति वादी / प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं हुई है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद को अन्तिम डिकी किया जाता है। विभाजन प्रस्तावों को बाद अनुमोदन डिकी की पालना हेतु भेजा जावें। अनुमोदित विभाजन प्रस्ताव इस आदेश एवं डिकी का अभिन्न भाग रहेगा। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	